(12)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
**समक्ष : मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 678–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 146/2014–15/अपील.

---

संजय जैन पुत्र वीरेन्द्र कुमार जैन
निवासी शिन्दे की छावनी
लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

**विरूद्ध**

कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर
ग्वालियर द्वारा सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर
ग्वालियर .....अनावेदक

श्री सुबोध पाराशर, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.के. जैन, अभिभाषक, अनावेदक

**:: आ दे श ::**
( आज दिनांक 3/10/17 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा ग्राम कोटा लश्कर स्थित भूमि सर्वे कमांक 50 मिन, 51 मिन, 53 मिन, 921 मिन, 923 मिन, 930 मिन व 931 मिन का सीमांकन प्रकरण कमांक 78/2012/19–12–2011 में किये गये सीमांकन के विरूद्ध कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 20–1–2014 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर एवं अधीक्षक, भू–अभिलेख के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि अभिलेख में यदि कोई संशोधन हुआ हो तो सीमांकन के पूर्व की

स्थिति कायम कर प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन किये गये हैं कि दिनांक 4–2–05 को अधीक्षक, भू–अभिलेख के नेतृत्व में उभय पक्ष की सहमति से सीमांकन किया गया है, जबकि प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं और वे सीमांकन से सहमत नहीं हैं ।

(2) दिनांक 1–1–76 को 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत किये जाने का उल्लेख अनावेदक द्वारा किया गया है, जबकि अवार्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वर्ष 1976 में 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की गई है और आवेदक के स्वामित्व की 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त छोड़ा गया है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल अनावेदक के कथन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त का यह अभिमत अभिलेख से परे है कि दिनांक 12–10–2012 को सम्पादित सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि अनावेदक को सीमांकन की सूचना दी गई है ।

(5) कलेक्टर द्वारा केवल समय–सीमा के बिन्दु पर अपील का निराकरण किया गया था, गुण–दोष पर नहीं, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण अपील निरस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि गुण–दोष पर निराकरण करने की अधिकारिता अपर आयुक्त को नहीं थी ।

(6) न्याय दृष्टान्त 1970 आर.एन. 593 में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नही है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अपील में आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील (सिविल) 3535/2006 में पारित आदेश दिनांक 18–8–1006 एवं 1964 एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 18 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त हो चुका है, इस तथ्य को आवेदक द्वारा छिपाया गया है । यह भी कहा गया कि दिनांक 8–2–2005 को अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन किया गया है, जिसमें मण्डी से पृथक आवेदक की भूमि निकली है । तर्क में यह भी कहा गया कि लगभग 50 वर्ष से मण्डी प्रांगण बना हुआ है और मण्डी संचालित है, परन्तु आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर मण्डी की भूमि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर 1994 एस.सी. 853 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2005 में हुई सीमांकन कार्यवाही को निरन्तर 7 वर्ष तक चुनौती नहीं देने से वह अंतिम होकर आवेदक के द्वारा इस तथ्य को छिपाते हुये पुनः उसी भूमि के सीमांकन हेतु 7 वर्ष उपरांत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से अपने हक में सीमांकन कराते हुये वर्ष 1976 से अर्द्धशासकीय निकाय/मण्डी समिति के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है । कलेक्टर को निगरानी/अपील सुनने का अधिकार नहीं होने से कलेक्टर द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया ही शून्यवत् है । संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा की गई एकपक्षीय सीमांकन की कार्यवाही को व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा शून्य घोषित कर सीमांकन के पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश देने में संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही गई है, जो वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर